नम्बर हुकम व तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन पत्र संख्या 292/2019 अनवान मोहनसिंह बनाम ओमसिंह

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय बाड़मेर गादान पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 11.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, बाड़मेर गादान पर पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाड़मेर

11.10.2021

पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय बाड़मेर गादान अम्बेडकर छात्रावास चौहटन रोड़ बाड़मेर गादान पर पेश हुई। प्रार्थीगण मोहनसिंह के कायम मुकाम उपस्थित। एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा गादान पटवार क्षैत्र बाड़मेर आगौर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 2718/2220 रकबा 12.14 बीघा, खसरा नंबर 2717/2211 रकबा 51.13 बीघा व मौजा डीगड़ा पटवार मण्डल आटी के खसरा नंबर 238 रकबा 5.03 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

अतः मौजा गादान पटवार क्षैत्र बाड़मेर आगौर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 2718/2220 रकबा 12.14 बीघा, खसरा नंबर 2717/2211 रकबा 51.13 बीघा व मौजा डीगडा पटवार मण्डल आटी के खसरा नंबर 238 रकबा 5.03 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि भूमि अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 अम्बेडकर छात्रावास चौहटन रोड़ बाड़मेर गादान

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 मोहनसिंह फौत के कायम मुंकाम भोमसिंह पुत्र मोहनसिंह, मगसिंह पुत्र मोहनसिंह, कान्ताकंवर पुत्री मोहनसिंह पत्नी बाबुसिंह, सोहनसिंह पुत्र मोहनसिंह, दानसिंह पुत्र मोहनसिह श्रीमती मीराकवंर पत्नी मोहनसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासी डीगडा बस्ती गादान बाड़मेर 2 ईश्वरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गादान तहसील एवं जिला बाड़मेर		1 ओमसिंह पुत्र मगसिंह 2 शंकरसिंह पुत्र खेतसिंह 3 अमरसिंह पुत्र मलसिंह 4 निम्बसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 5 माणकसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासीयान गादान 6 ईश्वरसिंह पुत्र बिजराजसिंह 7 नेपालसिंह पुत्र बिजराजसिंह 8 कानसिंह पुत्र बिजराजसिंह जातियान राजपूत निवासीयान डीगड़ा लंगेरा तहसील एवं जिला बाड़मेर 9 रामलाल पुत्र किसनलाल जाति खत्री निवासी खत्रीयों का तला, मोखी नंबर 8 के पास बाड़मेर 10 मानवेन्द्रसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी जसोल तहसील पचपदरा 11 नवनित पंचोरी पत्नी मुकेश पंचोरी जाति पंचोरी निवासी दी मार्डन स्कूल गादान तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

दिनांक–11.10.2021

राजस्व आवेदन संख्या–292/2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गादान पटवार क्षैत्र बाड़मेर आगौर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 2718/2220 रकबा 12.14 बीघा, खसरा नंबर 2717/2211 रकबा 51.13 बीघा व मौजा डीगड़ा पटवार मण्डल आटी के खसरा नंबर 238 रकबा 5.03 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर
दिनांक– 11/10/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6007-6010

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगौर/आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी **मोहनसिंह फौत के कायम मुकाम भोमसिंह** वगैराह जातियान रावणा राजपूत निवासी **डीगडा बस्ती गादान बाड़मेर** तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण ओमसिंह पुत्र मगसिंह वगैराह जातियान रावणा राजपूत/राजपूत/खत्री/पंचौरी निवासीयान गादान बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर